पंचम् विकास पत्रिका

विकास और स्वशासन पर संवाद हेतु समर्थन द्वारा प्रकाशित

वर्ष : 02 | अंक : 12 | जनवरी 2023 | परस्पर संपर्क हेतु

प्राकृतिक आपदाओं के बीच बीता साल 2022

सेंटर फॉर साइंस एन्ड एनवायरनमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ पत्रिका का आकलन

विनोद चौधरी द्वारा

भारत में लोगों ने वर्ष 2022 के नौ माहों में लगभग हर दिन किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदा का सामना किया। सेंटर फॉर साइंस एन्ड एनवायरनमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा किए गए एक नए आकलन के अनुसार इस दौरान 2,755 लोगों की जानें गईं। इतना ही नहीं इस दौरान 18 लाख हैक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ और 4 लाख घर नष्ट हुए जबकि लगभग 70,000 पशु मारे गए। प्राकृतिक आपदा की यह घटनाएं 1 जनवरी से 30 सितंबर, 2022 के बीच दर्ज की गईं हैं।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा, "देश ने 2022 में अब तक जो कुछ भी देखा, वह तेजी से गर्म होती धरती का परिणाम है। प्राकृतिक आपदाओं की अतिविषम घटनाएं की तीव्रता और आवृत्ति दोनों में हम वृद्धि होते हुए देख रहे हैं।"उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट अतिविषम मौसम की घटनाओं और उनसे जुड़े नुकसान और क्षति पर मौसमवार, महीनेवार और क्षेत्रवार विश्लेषण उपलब्ध कराती है। यह भारत में अतिविषम मौसम की घटनाओं की तीव्रता और उसके भूगोल पर एक साक्ष्य आधार भी तैयार करने का प्रयास है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विषय पर जो आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, वह अपूर्ण हैं और पूरी तस्वीर पेश नहीं करते।

रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2022 के नौ माह में भारत ने प्रतिदिन एक आपदा झेली। इसमें गर्म और सर्द हवाओं से लेकर चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं शामिल थीं। रिपोर्ट तैयार करने वालों में शामिल रहे रजित सेन गुप्ता कहते हैं कि इन आपदाओं में 2,755 जानें गईं।, 18 लाख हैक्टेयर फसल का क्षेत्र प्रभावित हुआ, 4,16, 667 से अधिक घर नष्ट हुए, लगभग 70,000 पशु मारे गए। लेकिन उनका कहना था कि नुकसान और क्षति का जो आकलन किया गया है, संभवतः वास्तविकता में कहीं अधिक हो सकता है क्योंकि हर घटना के आंकड़े विस्तृत रूप से एकत्रित नहीं किए गए हैं।

आपदाओं के हर दूसरे दिन होने वाली घटना के मामले में मध्य प्रदेश में ऐसे दिनों की संख्या अधिक थी। वहीं हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 359 लोगों की मौतें हुईं। मध्य प्रदेश और असम दोनों में एक समान 301 लोगों की मौतें हुईं। मध्य प्रदेश में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी फसल क्षेत्र के नुकसान की सूचना दर्ज नहीं है।

भारत ने 1901 के बाद से 2022 में अपना सातवां सबसे नम जनवरी माह दर्ज किया। वहीं मार्च भी 121 वर्ष में अब तक का सबसे गर्म और तीसरा सबसे सूखा माह दर्ज किया गया। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत ने 121 वर्षों में सबसे गर्म और सबसे शुष्क जुलाई देखा। इस क्षेत्र ने 2022 में अपना दूसरा सबसे गर्म अगस्त और चौथा सबसे गर्म सितंबर भी दर्ज किया। देश के 30 राज्यों में आकाशीय बिजली और तूफान से 773 लोगों की जानें गईं। मानसून के तीन माह जून से अगस्त तक के प्रत्येक दिन देश के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक वर्षा रिकार्ड हुई। यही कारण है कि बाढ़ की तबाही ने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा। उदाहरण के लिए असम का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया था, जिससे जानमाल और आजीविका का भारी नुकसान हुआ।

लू ने 45 लोगों की जान ले लीं, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं है, यह उत्तर भारत में लोगों पर लंबे समय तक उच्च तापमान का प्रभाव है। किसानों से लेकर श्रमिकों ने भीषण गर्मी का सामना किया। अच्छी खबर यह है कि चक्रवातों के कारण होने वाली मौतों की संख्य कम थी। देश में 95,066 हेक्टेयर क्षेत्रों को नष्ट करने वाले चक्रवातों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल दो लोगों की जानें गईं।

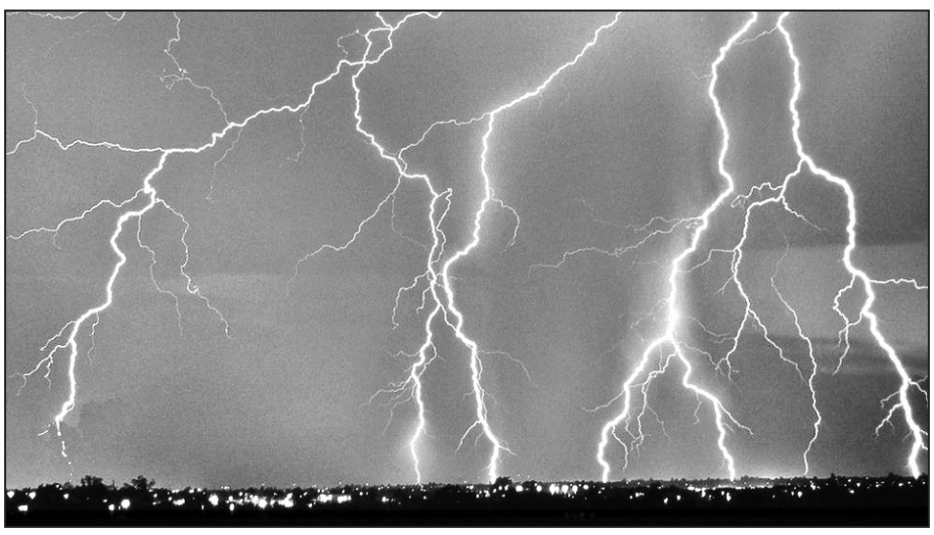

नारायण ने कहा कि यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा चक्रवात की भविष्यवाणी पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से राज्य सरकारों को पूर्व चेतावनी से अवगत कराना संभव हुआ है। ऐसा इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि राज्य सरकारें, विशेषकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने आपदा प्रबंधन की अपनी प्रणालियों में महत्वपूर्ण सुधार किया है। वह कहती हैं कि यह स्पष्ट है कि अब, इन घटनाओं की तीव्रता और सिर्फ आपदाओं को ही गिनने की जरूरत नहीं है, इससे होने वाले नुकसान और क्षति पर विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन करना भी बहुत आवश्यक है।

नारायण ने बताया कि यही कारण है कि सीएसई द्वारा तैयार अतिविषम मौसम रिपोर्ट कार्ड को समझना महत्वपूर्ण है। वह कहती हैं कि यह रिपोर्ट इन अतिविषम घटनाओं के प्रबंधन के लिए बहुत कुछ करने की बात करती है। हमें जोखिम को कम करने और लचीलेपन में सुधार करने के लिए आपदा के प्रबंधन से आगे बढ़ना होगा।

यही कारण है कि हमें बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रणालियों को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। वह कहती हैं कि यह रिपोर्ट उन देशों से नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करने की आवश्यकता की भी बात करती है जिन्होंने वातावरण में कार्बन उत्सर्जन में योगदान दिया और इस क्षति के लिए जिम्मेदार हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की व्याख्या करने वाले मॉडल स्पष्ट करते हैं कि अतिविषम मौसम की घटनाएं बार-बार होंगी और इनकी तीव्रता में वृद्धि होगी। यह रिपोर्ट कार्ड अच्छी खबर नहीं है लेकिन इसे पढ़ने की जरूरत है ताकि हम प्रकृति के प्रतिशोध को समझ सकें जो हम आज देख रहे हैं और यह भी समझें कि अगर हम जलवायु परिवर्तन का उस पैमाने पर मुकाबला नहीं करते हैं जिसकी अभी जरूरत है, तो आने वाले समय में यह स्थिति और बदतर हो जाएगी।

(उपरोक्त लेख सामग्री मि. अनिल अशवनी शर्मा, एसोसिएट एडरीटर 'डाउन टू अर्थ' द्वारा लिखित एवं 2 नवंबर 2022 को प्रकाशित लेख पर आधारित है)

जानकारी

आइये जानें पेसा कानून के बारे में

विनोद चौधरी द्वारा

पिछले दो माह से लगातार पंचम विकास पत्रिका के अंकों में पेसा कानून की जानकारी प्रकाशित की जा रही है। पिछले माह के अंकों में पेसा क्षेत्रों में नई ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया, ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता, कोरम, ग्राम सभा बैठक बुलाने की प्रक्रिया, ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की शक्तियों एवं कर्तव्यों की जानकारी प्रकाशित की गई थी । इस माह के अंक में भी ग्राम सभा की शक्तियों के बारे में जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य – (पिछले अंक से आगे)

मादक पदार्थों पर नियंत्रण

पेसा क्षेत्रों में मादक पदार्थों का निषेध

- राज्य शासन द्वारा पेसा क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने पर, ग्राम सभा अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- ग्राम सभा निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए संबंधित व्यक्ति पर आर्थिक दण्ड लगा सकेगी जो रूपए 1000/- से अधिक नहीं होगा।

पेसा क्षेत्रों में शराब/भांग के विक्रय पर रोक और विनियमन

ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर -

- देशी/विदेशी शराब की नई दुकान खोलने का प्रस्ताव विहित अधिकारी से प्राप्त होने पर 45 दिन की अवधि में नई दुकान खोलने की अनुमति देगी। यदि ग्राम सभा 45 दिन के भीतर सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा की इस पर सहमति नहीं है तथा दुकान नहीं खोली जाएगी।
- ग्राम सभा उसके क्षेत्र की सीमा के अंदर संचालित शराब/भांग की दुकान के स्थान परिवर्तन की अनुशंसा कर सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- किसी स्थानीय त्यौहार के अवसर पर उस दिन पूर्ण अथवा आंशिक अवधि के लिए संचालित शराब/भांग दुकान बंद करने की अनुशंसा कलेक्टर को कर सकेगी। कलेक्टर अपने विवेक से घोषित शुष्क दिवस के अन्तर्गत दुकान को संबंधित क्षेत्र के लिए बन्द कर सकेगा।

पेसा क्षेत्रों में शराब/भांग के सेवन पर प्रतिबंध तथा विनियमन

ग्राम सभा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर -

- किसी निर्धारित सार्वजनिक स्थल/परिसर में शराब/भांग का सेवन प्रतिबंधित कर सकेगी।
- मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-16 के अधीन विहित मादक पदार्थों के व्यक्तिगत आधिपत्य की सीमा को कम कर सकेगी।
- पेसा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा-61 घ (2) (तीन) में निर्धारित आधिपत्य की अधिकतम सीमा को कम कर सकेगी।

श्रम शक्ति की योजना

- ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सकेगी।
- ऐसे कार्य जिनमें मस्टर रोल का उपयोग होता है, से संबंधित काम शुरू होने के पहले दिन ऐसे मस्टर रोल की जानकारी ग्राम सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। यदि ग्राम सभा के अध्यक्ष या सदस्य मस्टर में फर्जी नाम या अन्य गलतियां पाते हैं, तो ऐसी गलत जानकारियों को ठीक किया जाएगा।

गांव के बाहर काम करने वाले श्रमिकों का विनियमन

- गांव के बाहर काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने कार्य की प्रकृति एवं शर्तों की सम्पूर्ण जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध करायेंगे, जिनका संधारण विहित रीति से किया जाएगा।
- प्रवासी श्रमिकों की समस्या की सूचना प्राप्त होने पर, शांति एवं न्याय समिति संबंधित विभागों से परामर्श कर उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करेगी।
- ग्राम सभा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं, कानूनी प्रावधान, विधिक सहायता आदि का अधिकतम लाभ श्रमिकों को प्राप्त हो।

कार्यअनुसार मजूदरी निर्धारण

- नियत मजदूरी दर को गांव में सार्वजनिक स्थान पर एक बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- यदि किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति की श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान किया जाता है, तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्रवाई करेगी।

गौण वनोपज

गौण वनोपज का परम्परागत प्रबंधन

- अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय एवं परम्परागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जाएगा। परन्तु इसका आशय यह नहीं होगा कि वनभूमि ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत में निहित हो हो गई है।
- यह समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी।
- ग्राम सभा सूक्ष्म प्रबंधन योजना के जरिए गौण वनोपज का समुचित दोहन तथा जैव विविधता व जैविक स्रोतों का संरक्षण व संवर्धन कर सकेगी।
- गौण वनोपज की मात्रा सीमित होने की स्थिति में ग्राम सभा परम्परागत रूप से गौण वनोपज संग्रहित करने वाले ग्रामीणों को छोड़कर अन्य लोगों के लिए वनोपज संग्रहण पर रोक अथवा चक्रीय व्यवस्था या आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों को संग्रहण के लिए अधिकृत कर सकेगी। परन्तु ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जिसका वनाधिकार पट्टा धारकों के व्यक्तिगत या सामूहिक अधिकार पर विपरीत प्रभाव पड़े।

गौण वनोपज संबंधित अधिकार

- पारम्परिक रूप से लघु वनोपज का संग्रहण, स्वामित्व तथा प्रबंधन, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ग) के अनुसार होगा।
- ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति या शासन द्वारा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं मार्केटिंग कर सकेगी।
- एक या एक से अधिक ग्राम सभा चाहे तो संयुक्त रूप से वन विभाग के परामर्श से वनोपज की खरीदी एवं बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। ग्राम सभा ऐसे न्यूनतम मूल्य पर क्रय तथा उसके निपटान की व्यवस्था वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी।
- तेंदू पत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्राम सभा चाहे तो तेंदू पत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी, बशर्ते ग्राम सभा इस बाबत संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये।

गौण वनोपज के संबंध में ग्राम सभा के कर्तव्य

- ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा-3 (1) (झ) तथा धारा 5 के अनुसार ग्राम सभा की होगी।
- ग्राम सभा वन संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन का कार्य उसके द्वारा गठित वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति के माध्यम से करेगी। इस हेतु ग्राम सभा द्वारा आवेदन करने पर शासन के समस्त विभाग सहायता करेंगे।
- ग्राम सभा पारीवारिक और सामुदायिक जरूरतों जैसे निस्तार, चराई, जलावन, कृषि उपकरण बनाने के लिए सूखी और मरी हुई लकड़ी, बांस तथा पारम्परिक संस्कार में लगने वाले पदार्थों को आवश्यकतानुसार वन से निकालने की व्यवस्था करेगी।
- प्रत्येक ग्राम सभा अथवा ग्राम सभाओं का समूह अपने-अपने क्षेत्रों में अपने सदस्यों के हितों, वनों के संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी।

बाजारों तथा मेलों पर नियंत्रण

बाजार फीस आदि का ठेके पर दिया जाना

- मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 80 के अनुसार पंचायत अनुसूची-3 में उल्लेखित किसी फीस के संग्रहण का कार्य सार्वजनिक नीलामी द्वारा तथा तदनुसार विहित रीति में ठेके पर दे सकेगी।
- बाजार या मेलों का नियंत्रण मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम

(शेष पेज 3 पर)

(पेज 2 का शेष)

स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 58 के अधीन रहते हुए म.प्र. पंचायत (ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर बाजारों तथा मेलों का विनियमन) नियम, 1994 के अनुसार विनियमन किया जाएगा।

साहूकारी

- अनुसूचित क्षेत्रों में किसी स्थान पर साहूकारी का कारोबार मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन, 1972 (क्रमांक 2 सन 1972) के प्रावधान के अनुसार लायसेंस प्राप्त कर उक्त विनियमन के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा।
- साहूकारी लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी लायसेंस की एक प्रति आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा। ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा को उपर्युक्त जानकारी से अवगत कराया जाएगा।
- साहूकार का यह दायित्व होगा कि वह उसके द्वारा दिये/चुकाए गए ऋण का ग्राम वार विवरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करे। उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को दी जाएगी।
- ग्राम सभा साहूकार के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपयुक्त पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी को उचित जांच एवं कार्यवाही की अनुशंसा करेगी।
- उपखण्ड अधिकारी उचित जांच एवं कार्यवाही पश्चात ऐसी अनुशंसा की रिपोर्ट 45 दिवस के भीतर ग्राम सभा को देगा।

सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तथा संस्थाओं पर नियंत्रण की शक्ति

- ग्राम सभा, सामाजिक एवं स्थानीय क्षेत्रों में चल रही सभी वार्षिक, अंकेक्षण योजनाओं जैसे कि शैक्षणिक संस्थाएं, छात्रावास, आंगनवाड़ी इत्यादि का समय-समय पर निरीक्षण, पुनरीक्षण करने हेतु सक्षम होगी, परन्तु ग्राम सभा स्वास्थ्य सामाजिक निरीक्षण तथा वार्षिक सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु सक्षम होगी।
- ग्राम सभा सामाजिक क्षेत्रों में चल रही समस्त संस्थाओं, योजनाओं के निरीक्षण हेतु समय-समय पर एवं तदर्थ समिति बना सकेगी, जो कि निरीक्षण के पश्चात नियत समय पर ग्राम सभा को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
  - ग्राम सभा अधिनियम की धारा 7 क की धारा (1) में उल्लेखित स्थाई समितियों के अतिरिक्त किसी समयबद्ध कार्य के कार्यान्वयन के लिए शासन या कलेक्टर से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप तदर्थ समिति का गठन कर सकेगी। तदर्थ समिति में उतनी संख्या में सदस्य हो सकेंगे, जितने कि ग्राम सभा अथवा सरकार द्वारा तय किए जाएं।
  - कारोबार के संचालन की प्रक्रिया तथा रचना तथा अन्य सहबद्ध विषय ऐसे होंगे, जैसे कि सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं अथवा ग्राम सभा द्वारा तय किये जाएं।
  - प्रत्येक तदर्थ समिति, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
  - कोई पंच ऐसी तदर्थ समिति का सदस्य हो सकेगा, जो ऐसे पंच के निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हो।
  - शालाओं, छात्रावासों तथा आश्रमों के निरीक्षण हेतु तदर्थ समिति में पालक-शिक्षक संघ के दो सदस्य आवश्यक होंगे जिनमें से एक महिला सदस्य का होना आवश्यक होगा।
  - जिन हितग्राही मूलक योजनाओं में निर्धारित पात्रता के मापदंड अनुसार हितग्राहियों को चिन्हांकित कर लाभान्वित किया जाना है उन योजनाओं में चिन्हांकित व लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण त्रैमासिक रूप से ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा तथा यदि कोई पात्र हितग्राही लाभान्वित/चिन्हांकित होने से वंचित पाया जाता है तो ग्राम सभा संबंधित को लाभ देने हेतु निर्देशित करेगी।
  - यदि किसी योजना में हितग्राही का चयन किया जाना है तो ऐसी दशा में ग्राम सभा इस संबंध में जारी शासकीय निर्देशों में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार वरीयता क्रम में हितग्राही का चयन करने में सक्षम होगी।
  - संबंधित हितग्राही को ग्राम सभा से चयन के पश्चात् ही योजना का लाभ दिया जा सकेगा।
  - ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना पर ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  - ग्राम सभा क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं के विवरण ग्राम सभा के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों तथा त्रैमासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं

- आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में गठित सहयोगिनी मातृ समिति / उप समिति में नामांकित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पश्चात् अनुमोदन ग्राम सभा से प्राप्त किया जावेगा।
- ऐसी समिति में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग से नामांकित होंगे।
- समिति के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला नामांकित होगी।
- ग्राम सभा सहयोगिनी मातृ समितियों के माध्यम से आंगनवाड़ी एवं उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में संचालित समस्त योजनाओं का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, त्रैमासिक समीक्षा एवं सामाजिक अंकेक्षण करेगी।

ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि –

- कार्यस्थल पर कार्य की जानकारी स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की गई हो।
- कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता ठीक हो।
- मजदूरों को उनकी मजदूरी मौखिक रूप बताई गई है एवं उन्हें सार्वजनिक स्थल पर प्रदान की गई है।

जानें मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के बारे में

डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान- अधारताल, जबलपुर म.प्र., द्वारा

योजना का परिचय

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसका नाम मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है।

यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब बीपीएल वर्ग के नागरिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूंजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। इस कार्यशील पूंजी के माध्यम से प्रदेश के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत ऐसे लोग जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते,

उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत कम लागत में उपकरण उपलब्ध करवाने में भी सहयोग किया जाता है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी लाने व बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये यह बहुत उपयोगी योजना है।

योजना से लाभ

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी गिरावट होगी व प्रदेश के बेरोजगार नागरिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिकतम रूपए 50000 की राशि प्रदान की जाती है। जो पात्र व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इच्छुक पात्र व्यक्ति घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

योजना के लाभार्थी

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से केश शिल्पी, स्ट्रीट वेंडर, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार जैसे लोग लाभ उठा सकते हैं।

मार्जिन मनी सहायता

मार्जिन मनी सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत एवं बीपीएल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, निशक्तजन,

(शेष पेज 4 पर)

(पेज 3 का शेष)

विमुक्त घुमक्कड़ तथा अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को 50 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपए) की सहायता दी जाती है।

योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्रियान्वयन से जुड़े सभी विभागों द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों का सत्यापन कर, चयनित पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना से जुड़े विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। विभागों द्वारा योजना के अंतर्गत लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि परियोजना लागत की अधिकतम राशि 50 प्रतिशत से अधिक हो।

इस योजना के लिए नोडल एजेंसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है। इस योजना के कार्य तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत मंत्री परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

योजना के लाभ हेतु पात्रता

- आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

- यदि आवेदक किसी और स्वरोजगार योजना का लाभ उठा रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या फिर वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर से संबंधित दस्तावेज होना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।

इन्टरनेट ब्राउजर में वेबसाइट की लिंक टाइप कर एन्टर करने पर होम पेज खुलेगा। होम पेज पर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें, लिंक पर क्लिक करने पर विभागों की सूची प्रदर्शित हो जाएगी। जिसमें से आवेदक को अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा। इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आवेदक को साइन अप बटन पर क्लिक कर निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा -

- आवेदक की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आवेदक की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आदि दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को साइन अप नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा।

पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया

- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब जो होम पेज खुलकर आएगा, उसमें मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आवेदक को अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें लॉगिन सेक्शन में जाकर योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद मोबाइल नंबर तथा पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आवेदक पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।

एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- अब आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात सामने विभागों की सूची खुल जाएगी जिसमें से आवश्यक विभाग का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।\
- आवेदक को ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन में जाना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक को अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- अब आवेदक को गो के बटन पर क्लिक करना होगा।
- एप्लीकेशन स्टेटस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

आई एफ एस कोड ढूंढने की प्रक्रिया

- सबसे पहले आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आवेदक के सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आवेदक को मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने विभागों की सूची खुलकर आएगी।
- आवेदक को अपने विभाग का चयन करना होगा।
- अब आवेदक के सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- इस पेज पर आपको आईएफएस कोड के सेक्शन में जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को आईएफएस कोड दर्ज करना होगा।
- अब आवेदक को सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- आई एफ एस कोड कम्प्यूटर स्क्रीन पर होगा।

समस्या समाधान

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 0755-6720200, 0755-6720203 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा msme@mponline-com पर ई-मेल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

पंचायत और विकास समाचार

मिशन सुनहरा कल - बदल रही है खेती की दशा एवं दिशा

विकास भनारे द्वारा

नीति आयोग की आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में आईटीसी और सीपा संस्था के संयुक्त प्रयास से संचालित 'मिशन सुनहरा कल' कार्यक्रम से खेती की दशा एवं दिशा में सकारात्मक बदलाव नजर आने लगे हैं। जिले के चयनित गांवों में फार्म फील्ड स्कूल संचालित कर कृषि वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों के द्वारा किसानों को सीजन वार बोयी जाने वाली फसलों के बारे में उन्नत तकनीक की जानकारी प्रदान की जा रही है। खेती की लागत में कमी लाना तथा उत्पादन में वृद्धि कर किसानों की आमदनी बढ़ाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा किसानों को खेती से संबंधित योजनाओं का लाभ दिलाने और खेती से जुड़े व्यवसायों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

इस लेख के माध्यम से हम बहेरी कला गांव के युवा शिक्षित किसान हिरामनी शाह पिता श्री सरजू प्रसाद शाह के बारे में जानेंगे। जिन्होंने मिशन सुनहरा कल से जुड़कर अपनी आर्थिक उन्नति के रास्ते प्रशस्त किए हैं। बहेरी कला गांव जिला मुख्यालय सिंगरौली से 45 किमी दूर मांडा गुफाएं एवं इको पर्यटक सेंटर के नजदीक स्थित है। कृषक हिरामनी शाह के पास केवल 2 एकड़ सिंचित जमीन है। उन्होंने खेती में वैज्ञानिक पद्धति का समावेश और मशरूम उत्पादन को अपनाकर न सिर्फ गांव में बल्कि जिले स्तर पर अपनी पहचान बनायी है।

शादी के बाद युवा कृषक हिरामनी पर जब पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ी तो उन्होंने खेती में ज्यादा समय और मेहनत करना शुरू कर दिया। लेकिन परम्परागत तरीके से खेती करने के कारण इतनी उपज नहीं मिल रही थी कि परिवार का गुजारा आसानी से हो जाए। आर्थिक तंगी से परेशान होकर उन्होंने निजी कम्पनियों में काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2018 में नीति आयोग के आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत आईटीसी द्वारा मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के तहत बहेरी कला गांव को फार्म फील्ड स्कूल के लिए चयनित किया गया। किसानों को वैज्ञानिकों एवं कृषि अधिकारियों के माध्यम से समय-समय प्रशिक्षण पर दिया जाने लगा। हिरामनी ने नियमित रूप से प्रशिक्षणों में भाग लेकर खेती में उन्नत तकनीक से जुड़ी अनेक जानकारियां हासिल की। हिरामनी की कार्य कुशलता को देखते हुए दो वर्ष पहले उन्हें मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के अंतर्गत वी.आर.पी. (विलेज रिसोर्स पर्सन) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम के साथ जुड़ने से

(शेष पेज 5 पर)

(पेज 4 का शेष)

हिरामनी को विभागीय योजनाओं की जानकारी और लाभ मिलने लगा। विगत वर्ष डीएमएफ मद के माध्यम से ग्रीष्मकालीन मक्के का बीज प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्प्रे पंप, ग्रीन लो टनल, वर्मीबेड, फूल एवं सब्जी विस्तार हेतु गेंदा, टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के बीज मुफ्त प्राप्त हुए। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषक हिरामनी को सरसों की रिसर्च प्रजाति का 2 किलो बीज उत्पादन करने के लिए प्राप्त हुआ। गेहूं, धान जैसी प्रमुख फसलों की बुवाई में उन्नत किस्म के बीज का इस्तेमाल, बुवाई से पहले बीजों का अंकुरण परीक्षण, बीजोपचार, प्रति एकड़ बीज दर, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग आदि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार किया जाने लगा, जो कि पहले नहीं होता था। जिससे खेती में लागत घटी तथा उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।

पिछले खरीफ सीजन में कृषक हिरामनी ने धान की पायोनियर 27P37 किस्म की वैज्ञानिक तरीके से बुवाई और देखरेख कर 54 क्विंटल धान की उपज प्राप्त की। धान की खेती में 25460 रूपए की कुल लागत आयी, घर में खाने के लिए कुछ धान बचाते

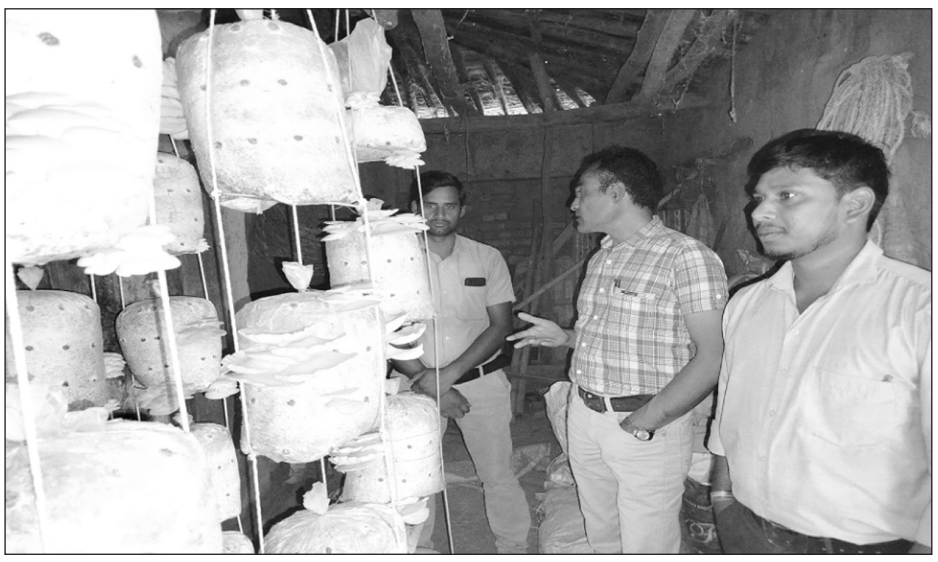

हुए लगभग 110000 रूपए की धान बाजार में बेची। इसी तरह विगत वर्ष गेहूं का 25 क्विंटल उत्पादन लिया जिसमें से 22 कुंटल बाजार में बेचकर लगभग 28000 रुपए शुद्ध लाभ प्राप्त किया। गर्मी के मौसम में लगायी मक्के की फसल से लगभग 8 से 10 हजार का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ, एवं टमाटर मिर्च बैंगन आदि के उत्पादन से लगभग 20000 का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ। इस प्रकार हिरामनी वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण कर हर मौसम में अलग-अलग फसलों से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं।

आईटीसी मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम अंतर्गत जिले में पायलट गतिविधि के रूप में किसानों को मशरूम उत्पादन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। हिरामनी ने भी इस प्रशिक्षण में भाग लिया और प्रशिक्षण के उपरांत अपने घर पर 300 वर्ग फुट के कमरे में मशरूम उत्पादन का काम शुरू किया। मशरूम उत्पादन के लिए खरीदी गई सामग्री पर कुल 2450 रुपए का खर्च आया। ढाई महीने में मशरूम की फसल आ गई जिसे घर से ही 200 रूपए प्रति किलो की दर से बेचकर 7200 रूपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया। आने वाले समय में हिरामनी की बड़े स्तर पर मशरूम उत्पादन की योजना है।

हिरामनी ने पुराने दिनों को याद कर भावुक होते हुए बताया कि, ''एक समय था जब मैं परिवार चलाने के लिए निजी कम्पनियों में रात-दिन मेहनत मजूदरी करने के लिए मजबूर था, लेकिन मिशन सुनहरा कल ने मेरा जीवन सुनहरा बना दिया है। इसके लिए मैं उन सभी कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों का आभारी हूं, जिन्होंने मेरी आर्थिक प्रगति में मदद की है। आज मैं और मेरा परिवार पूरी तरह संतुष्ट और खुश हैं। मैं चाहता हूं मेरे गांव और जिले का हर किसान खेती में मेरी तरह उन्नत और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर आर्थिक प्रगति करे।

खेती और उससे जुड़े व्यवसायों से बढ़ायी आमदनी

आइये जानते हैं कृषक प्रेम सिंह के बारे में जिन्होंने खेती में उन्नत एवं जैविक पद्धतियों के प्रयोग के साथ-साथ खेती से जुड़े व्यवसायों को अपनाकर अन्य किसानों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया

राहुल पाटीदार द्वारा

नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत आईटीसी द्वारा मिशन सुनहरा कल के तहत मध्यप्रदेश के तीन जिले खंडवा, बड़वानी और सिंगरौली में खेती और खेती से संबद्ध क्षेत्र की व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए सहयोग किया जा रहा है। जिसके लिए आईटीसी ने सीपा (समर्थ इन पार्टीसिपेटरी एक्शन) संस्था को भागीदार बनाया है। तीनों जिले के 17 विकासखंडों के 150 गांवों में इसको लेकर सघन रूप से काम किया जा रहा है।

आईटीसी-सीपा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश के चुनिंदा जिलों में खेती की लागत को कम करने और उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य के साथ टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। जिसके लिए सीपा संस्था के कृषि विशेषज्ञों की टीम नियमित प्रशिक्षण, बैठक और ऑन फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से भूमि की तैयारी, बुवाई पूर्व गतिविधियाँ, बुवाई के दौरान की गतिविधियाँ, उर्वरक प्रबंधन, कीट और रोग प्रबंधन, सिंचाई के समय का निर्धारण, कटाई, ग्रेडिंग और भंडारण आदि विषयों पर किसानों की क्षमतावृद्धि कर रही है।

प्रगतिशील किसान प्रेम सिंह की कहानी

प्रेम सिंह सोलंकी खंडवा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर गांव बांगरदा में रहते हैं और उनका मुख्य पेशा खेती है। उनके पास कुल 6 एकड़ जमीन है जिसमें से केवल 4 एकड़ जमीन सिंचित है। पशुधन के रूप में दो भैंस और चार बकरियां भी हैं। प्रेम सिंह 2020 में आईटीसी के मिशन सुनहरा कल कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंन समय-समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेकर जीवामृत, बीजामृत और वर्मीकम्पोस्ट तैयार करने की विधियां सीखी। इन जैविक उत्पादों का प्रयोग कर फसलों की अच्छी पैदावार लेने में सफलता हासिल की। उनके फसल उत्पाद रासायनिक कृषि पद्धतियों के माध्यम से उपजाये गए फसल उत्पादों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। वह गांव के अन्य किसानों के साथ जैविक खेती के लाभों को साझा कर उन्हें भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं।

प्रेम सिंह ने खेती में जैविक पद्धतियों के साथ-साथ कृषि पैकेज विधियों को भी अपनाया है। पिछले तीन साल से वह जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने गोबर खाद और वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर जैविक खेती की शुरूआत की। पिछले तीन वर्षों में प्रेम सिंह ने अनुभव किया कि उनकी फसलें बेहतर हो रही हैं, जिसके चलते उन्होंने वर्मीकम्पोस्ट के विकास और इसके निरंतर उपयोग में रुचि दिखायी। प्रेम सिंह ने तरल जीवामृत और फसल उत्पादन में शून्य-निवेश पद्धति का प्रयोग कर फसलों की अच्छी पैदावार लेने में सफलता हासिल की।

कृषि विशेषज्ञों की राय अपनाकर उत्पादन को बढ़ाया

उन्नत एवं जैविक विधियों से प्रेम सिंह सोलंकी ने वर्ष 2021 में अपने खेत में रासायनिक विधि से गेहूँ की सर्वोत्तम किस्म सरबती उगाई, जिसकी 18 क्विंटल प्रति एकड़ उपज मिली, इसमें 11365 रुपये की कुल लागत आयी और 21639 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त हुई। इसके अलावा उन्होंने एक एकड़ जमीन पर गेहूं की सरबती किस्म को पूरी तरह जैविक विधि से उगाया जिसका उन्हें 11 क्विंटल उत्पादन मिला, इसका उपयोग उन्होंने घर पर खाने के लिए किया। प्रेम सिंह ने वर्ष 2022 के खरीफ सीजन में सोयाबीन की जेएस 2034 किस्म लगायी जिससे उन्हें प्रति एकड़ 7 क्विंटल तक उपज मिली, जिसमें 9425 रुपये खर्च आया और 29265 रुपये का शुद्ध लाभ मिला। वर्तमान में प्रेमसिंह जैविक विधि से हल्दी की खेती भी कर रहे हैं।

केंचुआ और वर्मी कम्पोस्ट बेचकर कमाए पैसे

प्रेम सिंह ने स्वयं अपने यहां लगभग 15000 रुपये कीमत का वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया। उन्होंने 80,000 रुपये के केंचुए और 40000 रुपये का वर्मी कम्पोस्ट बेचकर 105000 रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया।

कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ

मिशन सुनहरा कल की टीम ने कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रेम सिंह का ऑनलाइन पंजीयन कराया, जिसके तहत उन्हें 2.5 एकड़ जमीन में सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम, दो स्प्रिंकलर, मोटर पम्प और पाइप भी प्राप्त हुए। आईटीसी-सीपा संस्था द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन कर कृषकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई तथा जो किसान योजनाओं के लाभ के लिए इच्छुक थे उनका पंजीयन भी कराया गया। प्रेम सिंह ने पशु केसीसी के लिए पंजीकरण कराया, जिसके तहत उन्हें 100000 रुपये प्राप्त हुए। इस पैसे से उन्होंने दो भैंसें खरीदी, भैंसों का दूध 45 रुपये प्रति लीटर बेचकर एक वर्ष में 107680 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया। इसके अलावा उनके पास जो चार बकरियां हैं, उनकी कीमत लगभग 30000 रुपये है। बकरियों से भी सालाना 15-16 हजार की आमदनी हो जाती है।

प्रेम सिंह ने मिशन सुनहरा कल की टीम के सहयोग से मनरेगा योजना का लाभ लेकर बायोगैस संयंत्र का निर्माण कराया, जिसमें 33,500 रुपये अपने पास से लगाए और 13500 रूपए की मनरेगा से मदद मिली। अब रसोई का पूरा काम बायोगैस से होता है, जिससे सालाना 7 से 8 हजार रूपए जो गैस सिलेण्डर खरीदने के लिए खर्च करने पड़ते थे बचत होने लगी है।

प्रेम सिंह को लगता है कि जिस प्रकार मैंने जैविक पद्धति और बहु आयामों को अपनाकर आर्थिक उन्नति की है, अन्य किसान भी इसे अपनाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं।

''एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम'' अन्तर्गत ''स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र''

लेखः डॉ. संजय कुमार राजपूत, संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान - अधारताल, जबलपुर म.प्र.,

प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन के अभिसरण से ''एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम'' परियोजना के अन्तर्गत ''स्मार्ट आंगनवाडी'' केन्द्रों का संचालन एवं विभिन्न बाल मैत्री गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं।

सतत् विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण भारत शासन के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस दिशा में जिला मंडला की पंचायतें ''बालमित्र पंचायत'' की थीम पर विभिन्न गतिविधियां संचालित कर रही हैं जिसमें सबसे प्रमुख ''स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र'' बनाया जाना है।

मंडला जिला कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के संरक्षण, मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से चिन्हित ग्राम पंचायतों में ''स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र'' बनाये जा रहे हैं। जिले में चिन्हित की गई ग्राम पंचायतों में पहले से संचालित आगंनवाड़ी केन्द्रों का कायाकल्प शासन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।

स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र एक ऐसी अभिनव संकल्पना है जिसमें शासन एवं पंचायत पर कोई भी वित्तीय भार नहीं आता है अर्थात यह ''शून्य लागत'' गतिविधि है जो जन-सहभागिता से स्व-संचालित होती है। इसके अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद (एडाप्ट) लिया जाता है। जो व्यक्ति आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लेते हैं उनके विशेष सहयोग व सहभागिता से आगंनवाड़ी केन्द्र में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं।

एडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-ग्राम कोंड्रा (बैगा टोला)

मंडला जिला में बिनेका ग्राम पंचायत अंतर्गत विशेष आदिम जाति बैगा बहुल ग्राम कोंड्रा को स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया है। एडॉप्ट ऐन आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत जिला मंडला की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने ग्राम कोंड्रा आंगनवाड़ी केंद्र को गोद (एडॉप्ट) लिया है। यह आंगनवाड़ी स्मार्ट मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित की गई है।

(शेष पेज 6 पर)

(पेज 5 का शेष)

कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह के पिता श्री अनिल सिंह ने अपना जन्मदिन इस आंगनवाड़ी केंद्र में केक काट कर मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर और उनके माता-पिता ने बच्चों को बैग, स्लेट, पाठ्यसामग्री, पानी की बोतल, थाली, चम्मच, गिलास उपहरा में दिये। इस दौरान आंगनवाड़ी परिसर में कलेक्टर एवं अधिकारियों ने वृक्षारोपण भी किया।

आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, चित्रकला तथा टेबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। जिनके माध्यम से बच्चे खेल-खेल में मनोरंजनपूर्ण एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

एडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-नैझरटोला

महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी के अंतर्गत आगंनवाड़ी केन्द्र नैझरटोला को श्रीमती शारदा ठाकुर, पर्यवेक्षक सेक्टर बीजाडांडी क्रं. 1 ने एडॉप्ट किया है। श्रीमती ठाकुर द्वारा स्वयं आंगनवाड़ी केन्द्र में आकर्षक पेंटिग की गई है। जिससे आगंनवाड़ी केन्द्र काफी आकर्षक दिखने लगा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जनसहयोग से बच्चों के खिलौने एकत्रित किये गये हैं। बच्चे इनका उपयोग बहुत उत्साह और उमंग से कर रहे हैं। इस केन्द्र में जनसहयोग से किचिन गार्डन और पोषण मटका भी स्थापित किया गया है।

अडॉप्ट आंगनवाड़ी केन्द्र-कटंगी

महिला एवं बाल विकास परियोजना बीजाडांडी के पर्यवेक्षक सेक्टर पौडी नगरार के अन्तर्गत आगंनवाड़ी केन्द्र कटंगी में श्री चंद्रकांत बडगैया द्वारा बच्चों के बैठने के लिये कुर्सियां प्रदान की गई हैं। जनसहयोग से बच्चों के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलौने जुटाए गये हैं। जिनका बच्चों द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

आंगनवाड़ी केन्द्र में पोषण मटका स्थापित कर जनसहयोग से पोषण/राशन सामग्री एकत्रित की जा रही है। जिसका उपयोग बाल भोज में किया जा रहा है। महिलाओं के सहयोग से खाली बैग से बच्चों के लिये खिलौने तैयार किये जा रहे हैं। समुदाय द्वारा माह में एक या दो बार बच्चों को स्थानीय फल जैसे पपीता, अमरूद आदि का वितरण भी किया जाता है।

स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु निरंतर प्रयास

स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र राजीव कॉलोनी मण्डला एवं कोंड्रा (बैगाटोला) को जिले की कलेक्टर श्रीमती हर्षिका सिंह ने गोद लिया है तो वहीं जिला पंचायत मंडला की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रानी बाटड द्वारा आगंनवाड़ी केन्द्र गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह राजपूत द्वारा शांति नगर आगंनवाड़ी केन्द्र, विद्युत विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री शरद बिसैन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र बढार एवं पीआईयू विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री जी. पी. पटले द्वारा आंगनवाडी केन्द्र बिलगांव को गोद लिया गया है।

इसी प्रकार श्री कमलकांत सोनी व्यवसायी द्वारा ग्राम आमानाला, श्री जयदत्त झा समाजसेवी द्वारा ग्राम चटुआमार, आगाज युवा संस्थान द्वारा ग्राम देवदरा, श्री मुकेश कुमार मरावी व्यवसायी द्वारा ग्राम बड़टोला के आंगनवाड़ी केन्द्र को गोद लिया गया है। जनसहभागिता से स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिये जाने का सिलसिला अब आगे बढ़ता ही जा रहा है।

जनसहभगिता, अभिसरण, अनुकरण

कलेक्टर श्रीमती हर्षिता सिंह ने बताया कि स्मार्ट आगंनवाड़ी केन्द्र बनाने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की टीम, चित्रकार और स्थानीय नागरिकों का विशेष सहयोग मिल रहा है। जिला मंडला में स्मार्ट आंगनवाड़ी केन्द्र बनाने के लिये किये जा रहे विशेष प्रयासों के भविष्य में निश्चित ही बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। इसी प्रकार के प्रयासों का अनुकरण अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

दूध उत्पादों में मिलावट

अक्षय रमानी एवं डॉ. रमन सेठ, (डेयरी रसायन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा) कृषक जगत 23 जनवरी 2023

दूध की वसा में मौजूद विटामिन ए, डी, ई, बी कॉम्प्लैक्स तत्व, हमारी आंखों, त्वचा, हड्डियों, रक्त निर्माण व संचालन के लिए अति आवश्यक हैं। दूध की वसा मस्तिष्क की क्रिया, हार्मोन्स एवं एन्जाइम के निर्माण व संचालन के लिए आवश्यक है। मधुमेह उच्च रक्तचाप नियंत्रण कैंसर प्रतिरोध में भी दूध की वसा सहायक है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 रक्त वाहिनियों की जकड़न को कम करता है। दूध की प्रोटीन से प्राप्त आवश्यक अमीनो एसिड की पाचनशीलता 96 प्रतिशत है, यह यकृत, गॉल-ब्लैडर व गुर्दों के लिए दुष्कर नहीं है। दूध की प्रोटीन ना केवल मांसपेशियों के निर्माण में योगदान देती है, बल्कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता, रक्तचाप नियंत्रण, कीटाणुनाशक, गैस एसिडिटी नाशक, अतिसार रोधक गुण भी पाये गए हैं। दूध में पाया जाने वाला केल्शियम और आयोडीन अस्थि रोगों के उपचार में सहायक है।

दूध के सभी पोषक तत्व मिलकर दूध को एक महत्वपूर्ण और सम्पूर्ण भोजन बनाते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि दूध उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से युक्त एक सुपर फूड है जो मांसपेशियों, पोषक तत्वों से भरपूर वसा, लैक्टोज जो मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है, हड्डियों के निर्माण और ताकत के लिए कैल्शियम, और पाचन प्रोटीन का एक अनूठा मिश्रण है। बच्चे, बढ़ते किशोर, वयस्क और रोगियों के लिए दूध पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

भारत दुनिया भर में दूध उत्पादन और खपत के मामले में पहले स्थान पर है। इसके बावजूद बड़ी मात्रा में दूध की आपूर्ति मिलावटी दूध से होती है। विभिन्न मानकों पर आधारित रिपोर्ट में यह आंकड़ा 65 से 89 फीसदी तक दर्ज किया गया है। यह दूध यूरिया, डिटर्जेंट, अमोनियम सल्फेट, कास्टिक सोडा, फार्मलीन जैसे खतरनाक रसायनों के मिश्रण से बनाया जाता है। आर्थिक लाभ के लिए कुछ निर्माताओं द्वारा दूध और अन्य डेयरी उत्पादों में मिलावट पुराने समय से की जा रही है। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों में नियामक मानकों को निर्धारित करना तथा भोजन में मिलावट के खिलाफ पता लगाने के लिए तरीके, परीक्षण विकसित करना आवश्यक है। दूध में मिलावट जानबूझकर उत्पादन और प्रसंस्करण के दौरान की जाती है। कभी-कभार अनजाने या गलती से भी हो

(शेष पेज 7 पर)

(पेज 6 का शेष)

जाती है। दूध उत्पादों में मिलावट के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी पैदा हो रहे हैं।

दूध में मिलावट क्यों ?

दूध और डेयरी उत्पादों में अधिकांश मिलावट अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर की जा रही है। इसके पीछे संभावित कारणों में सबसे प्रमुख मांग और आपूर्ति का असंतुलन है। आम मिलावट चीनी, पानी, स्टार्च, क्लोरीन, हाइड्रेटेड चूना, सोडियम कार्बोनेट, फार्मलीन, अमोनियम सल्फेट और गैर दूध प्रोटीन (मेलामाइन) आदि की है। दूध की कमी के कारण कुछ लोग यूरिया, सोडियम कार्बोनेट मिलाकर सिंथेटिक दूध तैयार कर रहे हैं, इसलिए दूध में मिलावट, उनकी पहचान और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव की समीक्षा करना आवश्यक है।

दूध में मिलाये जाने वाले विविध पदार्थ

पानी एवं खाद्य रंग

दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सामान्यतः पानी मिलाया जाता है जो दूध के पोषक मूल्य को कम करता है। दूषित पानी को दूध में मिलाने से दूध लेने वाले समुदाय के लिए स्वास्थ्य संबंधी गम्भीर चिन्ता बनी रहती है। कई खाद्य प्रतिबंधित रंग भी दूध के रंग में सुधार करने के लिए मिलाये जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव डालते हैं।

चीनी या शक्कर

आमतौर पर दूध में चीनी को मिलाया जाता है ताकि दूध में वसा की मात्रा न बढ़े, यानी दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग को बढ़ाया जा सके, जो पहले से पानी से पतला था।

स्टार्च

स्टार्च का उपयोग एसएनएफ (SNF) को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यदि स्टार्च की मात्रा अधिक हो तो बड़ी आंत में अनिष्ट स्टार्च के प्रभाव के कारण दस्त हो सकते हैं। स्टार्च का शरीर में संचय मधुमेह रोगियों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। खोआ, छेना या पनीर में इनका वजन बढ़ाने के लिए स्टार्च मिलाया जाता है।

यूरिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अधिनियम, 2006 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (पीएफए), 1955 के अनुसार दूध में यूरिया की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 70 नैनोग्राम प्रति 100 मिलीग्राम है। दूध में यूरिया सफेदी प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है जो दूध की स्थिरता और नॉनप्रोटीन नाइट्रोजन सामग्री को बढ़ाता है। यूरिया का उपयोग सिंथेटिक दूध बनाने के लिए भी किया जाता है। यह अम्लता, अपच, अल्सर और कैंसर, जैसे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को जन्म देता है।

डिटर्जेंट

पानी में तेल को घोलने के लिए डिटर्जेंट मिलाया जाता है जो झागदार घोल बनाकर दूध को सफेद रंग प्रदान करता है। डिटर्जेंट दूध की कॉस्मेटिक प्रकृति को बढ़ाकर आंतों की जटिल बीमारियों का कारण बनता है।

मेलामाइन

मेलामाइन को दूध और दूध पाउडर में मिलाया जाता है ताकि प्रोटीन की मात्रा को गलत तरीके से बढ़ाया जा सके। चूंकि मेलामाइन ना तो अनुमत एडिटिव है और ना ही खाद्य संघटक, इसकी सीमा खाद्य नियमों में तब तक निर्धारित नहीं की गई थी, जब तक कि सन् 2008 में चीन में मेलामाइन संदूषण की सूचना नहीं थी। मेलामाइन के लिए यूरोपीय आयोग और संयुक्त राज्य खाद्य और औषधि ने 2.5 मिलीग्राम/ किग्रा की अधिकतम स्वीकार्य सीमा आयतित खाद्य दूध पदार्थों में और शिशु आहार में 1 मिलीग्राम/किग्रा निर्धारित की है। मेलामाइन गुर्दे की विफलता का कारण बनता है और चरम मामले में मौत भी हो सकती है।

हाइड्रोजन परऑक्साइड

दूध की ताजगी बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया जाता है, लेकिन यह जठर आंत्र कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड शरीर में एन्टीऑक्सीडेंट की प्राकृतिक प्रतिरक्षा को कमजोर करता है, जिससे कम उम्र में बुढ़ापे की लक्षण पनप सकते हैं।

एन्टीबायोटिक्स एवं कीटनाशक

एन्टीबायोटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से पशुओं में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है और 80 प्रतिशत पशु चिकित्सक थनैला रोग के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं और अंततः ये एंटीबायोटिक्स दूध में अवशेष के रूप पाये जाते हैं। ऐसे दूध के सेवन से ऊतकों की क्षति भी हो जाती है। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया किण्वन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है। फसलों पर लगे सूक्ष्म जीवों को मारने तथा दूध को संरक्षित करने के लिए कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। दूध में कीटनाशक की उपस्थिति से दूध विषाक्त हो जाता है।

दूध संरक्षक

सूक्ष्म जीव का विकास दूध को खराब करता है और खराब दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। बोरिक एसिड, फार्मलीन, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सैलिसिलिक एसिड, बैंजोइक एसिड, सोडियम एजाइडस दूध को लम्बे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। परन्तु इनमें जहरीला पदार्थ होता है, जिससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इससे पेट दर्द, दस्त, उल्टी और अन्य जहर से संबंधित लक्षण विकसित होते हैं।

सिंथेटिक दूध

भारत में सिंथेटिक दूध एक आम समस्या है। जो यूरिया, कास्टिक सोडा, रिफाइंड तेल और डिटर्जेन्ट मिलाकर बनाया जाता है। कास्टिक सोडा में सोडियम होता है जो उच्च रक्तचाप और दिल से पीड़ित लोगों के लिए धीमा जहर का काम करता है।

ऐसा मिलावटी दूध, जिसे लोग अपने बच्चों को उनकी सेहत बनाने के लिए देते हैं, सेहत बनना तो दूर बल्कि कई गम्भीर बीमारियां का कारण हो सकता है। थोड़े से पैसे के लालच में लोग इतने अन्धे हो चुके हैं कि उन्हें इन मासूमों पर भी दया नहीं आती। इसे रोक पाना केवल सरकारी तंत्र के बस में नहीं है इसके लिए समाज के हर वर्ग को सहयोग करना होगा।

मोटा अनाज मोटा लाभ

हर्ष उपाध्याय डॉ. विनय कुमार गौतम मृदा एवं जल प्रौद्योगिकी विभाग सीटीएई, उदयपुर

मोटा अनाज छोटे बीज वाली घासों को वर्गीकृत करने के लिए एक सामान्य शब्द है जिन्हें अप्रेल 2018 में न्यूट्री-अनाज का दर्जा प्राप्त हुआ था। ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, काकून, चीना, सवा, कोदों आदि इसके कुछ प्रकार हैं। उप-सहारा अफ्रीका और एशिया के लाखों छोटे किसान इन्हें आवश्यक मुख्य अनाज की फसलों के रूप में उगाते हैं। बाजरा जैसे मोटे अनाज किसानों को पोषण, आय और आजीविका प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग भोजन, चारा, जैव-ईंधन और शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। मोटे अनाज अपने उच्च प्रोटीन स्तर और अधिक संतुलित अमीनो रसायन इन्हें शोधरोधी और एन्टी-ऑक्सिडेटिव जैसे कई चिकित्सकीय गुण भी प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के माध्यम से विश्व में उन मोटे अनाजों का उपयोग बढ़ सकता है जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार मोटे अनाज के वैश्विक बाजार की कीमत 47 करोड़ डालर आंकी गई है 2021-2026 की अवधि के दौरान 4.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने 2021-22 के 6.428 करोड़ डालर के मुकाबले 2023-24 तक 10 करोड़ डालर के मोटे अनाजों के निर्यात का लक्ष्य रखा है।

सरकार द्वारा भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिलेट अर्थात मोटा अनाज सदियों से हमारे आहार का अभिन्न अंग रहा है। स्वास्थ्य लाभों की अधिकता के अलावा मिलेट कम पानी और कम लागत की आवश्यकता वाले पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है। जागरूकता पैदा करने और मिलेट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष पेश किया जिसे 72 देशों के समर्थन के साथ पारित कर दिया गया। इस हस्तक्षेप के माध्यम से, भारत में मिलेट के महत्व को पहचानने और समुदाय को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के साथ-साथ घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है।

6 दिसम्बर, 2022 को खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने रोम में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया, जिसे कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संबोधित किया और साथ ही भारत के कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी इसमें भाग लिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने पिछले महीने संसद के सदस्यों के लिए एक विशेष 'बाजरा लंच' आयोजित किया था, जिसमें उपराष्ट्र पति जगदीश धनकड़ और प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। मोटे अनाज को जी-20 बैठकों का भी एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है जिसके उपलक्ष्य में बैठकों में हिस्सा लेने आये प्रतिनिधियों को मोटे अनाजों से बने व्यंजन परोसे गए और इससे जुड़े किसानों, स्टार्ट-अप और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ पारस्परिक सत्रों के माध्यम से मोटे अनाजों का एक सच्चा अनुभव प्राप्त किया। खेल मंत्रालय ने जनवरी में 15 गतिविधियों की योजना बनायी है जैसे वीडियो संदेशों के माध्यम से खिलाड़ियों, पोषण विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को इस मुहिम में शामिल करना तथा प्रमुख पोषण विशेषज्ञों, आहार विशेषज्ञों और विशिष्ट खिलाड़ियों के साथ मोटे अनाजों पर वेबिनार आयोजित करेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आंध्रप्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश में 'मिलेट मेले' का आयोजन करेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पंजाब, केरल और तमिलनाडू में 'ईट राइट' मेलों का आयोजन करेगा। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) बेल्जियम में एक व्यापार प्रदर्शनी में भाग लेगा जहां यह भारतीय मोटे अनाजों की विविधता का प्रदर्शन करेगा। 140 से अधिक देशों में भारतीय दूतावास प्रदर्शनी, अध्ययन, गोष्ठी, वार्ता और पैनल चर्चा के माध्यम से भारतीय प्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उत्सव में शामिल करेंगे।

हालांकि भारत मोटे अनाजों से जुड़ी इस मुहिम का प्रमुख आयोजक है किन्तु भारत को भी अपने मोटे अनाजों के उत्पादन स्वरूप में काफी बदलाव लाने की जरूरत है। 2013-14 और 2021-22 के बीच मोटे अनाजों (रागी, बाजरा और ज्वार) के न्यूनतम समर्थन मूल्यों 80 से 125 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है परन्तु पिछले 8 वर्षों के दौरान इनका संयुक्त उत्पादन 7 प्रतिशत घटकर लगभग 1.56 करोड़ टन रह गया है। जहां बाजरा का उत्पादन अब तक स्थिर रहा है, वहीं ज्वार और रागी के उत्पादन में गिरावट आयी है। इससे पता चलता है कि कृषि संबंधी नीतियों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि किसानों को मोटे अनाजों के लिए लाभकारी मूल्य मिल सके और उनका प्रतिलाभ धान जैसी प्रमुख फसलों की तुलना में अधिक हो।

-स्रोत : कृषक जगत,
6 फरवरी 2023

महिलाओं की पहल

कृषि सखियां कर रहीं जैविक खेती की अगुवाई

महिलाएं घर पर बना रही हैं जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक

ज्ञानेन्द्र तिवारी द्वारा

जिले में खेती की लागत को कम करने के लिए कृषि सखियां गांव में उपलब्ध संसाधनों से जैविक खाद और कीटनाशक बनाने के गुर सीख रही हैं। जिले में कार्यरत समाजसेवी संस्थाएं किसानों को रसायनिक खेती एवं रसायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खेती और जैविक कीटनाशकों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और कृषि वैज्ञानिक किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब क्षेत्र में घर-घर जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाने का काम शुरू हो जाएगा।

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक पी.एन. त्रिपाठी ने बताया कि देशी खाद और देशी बीज आज मानव समाज एवं प्राकृतिक संरक्षण के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही इस विधि से खेती में लगने वाली लागत को भी बहुत कम किया जा सकता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और देशी बीज को पुनर्जीवित कर किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन के लिए प्रेरित करना जरूरी है। इसीलिए किसानों और कृषि सखियों को जैविक तरीके से खाद और जैविक कीटनाशक बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि सखी का प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, रिलायन्स फाउंडेशन और समर्थन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में किया गया।

केंचुआ बेचकर कर रहे कमाई

जिले के 4 गांव में 22 किसानों ने एक साल पहले केंचुआ पालने का काम शुरू किया। इनसे बनी खाद का इस्तेमाल खेती में किया। इसके अलावा किसान केंचुआ बेचकर भी लाभ ले रहे हैं। ग्राम विल्हा के किसान सोनेलाल पटैल ने 5 किलो केंचुआ 1500 रूपए में, पुष्पा विश्वकर्मा ने 5 किलो केंचुआ 1500 रूपए में और चिरोंजीलाल पटैल ने 10 किलो केंचुआ 3000 रूपए में नागौद निवासी किसान कृष्णम सिंह, अतुल अग्निहोत्री एवं बदरीश सोनी को बेचा। कुछ दिन पहले 26 किलो केंचुआ पल्थरा के किसानों ने बेचे थे। उन्होंने कहा केंचुओं को पालने से देशी खाद तैयार होगी एवं जिले के अन्य किसानों तक केंचुआ पहुंचा पायेंगे। किसानों ने बताया, प्राकृतिक खेती में गौशाला का बहुत योगदान है। इससे गाय पालन को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रशिक्षण के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने जलवायु के अनुकूल जैविक खेती को बढ़ावा देने और देशी बीज को पुनर्जीवित कर मोटे अनाजों की परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के बारे में कृषि सखियों को जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि 40 कृषि सखियों के साथ लगभग 2000 किसान जुड़े हैं, हम आने वाले एक वर्ष में इन सभी किसानों के साथ पहुंच बनाकर इस पर काम करेंगे। डॉ. आर.के. जायसवाल ने प्राकृतिक खेती में जीवामृत एवं मल्चिंग विधि को मुख्य घटक बताया एवं देशी केंचुओं को जो जमीन के नीचे है पुनः सक्रिय करने की बात कही।

कृषि विशेषज्ञ, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सुशील शर्मा ने कहा कि कृषि सखी हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस प्रशिक्षण के बाद कृषि सखी के रूप में किसानों को खेती के जानकार गांव में ही मिल जायेंगे जिससे खेती की लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी। संतोष सिंह ने बताया कि पोषण वाटिका से लोगों को पोषणयुक्त भोजन मिलेगा जिससे कुपोषण को कम करने में मदद मिलेगी।कार्यक्रम का संचालन कर रहे ज्ञानेन्द्र तिवारी ने कहा कि हमारी कृषि सखी 2000 किसानों को खेती के गुर सिखाकर जिले में जैविक एवं पारम्परिक खेती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। उन्होंने जैविक खेती के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए कृषि सखियों के साथ मासिक बैठक आयोजित करने पर जोर दिया ताकि अलग-अलग गांवों में किए जा रहे प्रयासों और अनुभवों को साझा किया जा सके।

व्यवस्थाओं में सुधार हेतु एकजुट हुई महिलाएं

शीतल मानकर द्वारा

धार जिले के मनावर विकासखंड का खंडलाई गांव कभी स्वच्छता, चिकित्सा सुविधा और रोजगार की समस्या से ग्रस्त था। इस गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट के कारण बड़ी मात्रा में कचरा निकलता था। कचरा नहीं उठने के कारण बाजार स्थल तथा आसपास के इलाकों में गंदगी बनी रहती थी, जो कई बीमारियों को भी आमंत्रण देती थी। किसी के बीमार होने पर उसे स्थानीय स्तर पर ही चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण तो हो गया था, लेकिन चिकित्सक की नियुक्ति न होने के कारण यह केन्द्र लगातार दो साल तक बंद पड़ा रहा।

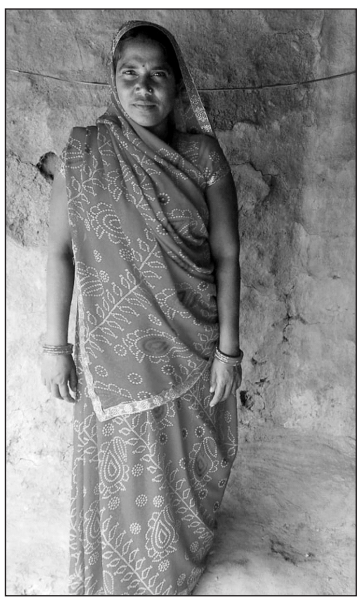

ट्रिफ-समर्थन संस्था द्वारा संचालित मिशन अंत्योदय परियोजना के तहत दिए गए प्रशिक्षण से पंचायत की बदलाव दीदी सुमन कनासे को सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाया जाए इस संबंध में जानकारी मिली। प्रशिक्षण बताया गया कि यदि कोई सामुदायिक सेवा या सुविधा का लोगों को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। सुमन दीदी को ऐसा महसूस हुआ कि यह सब जानकारी उनके गांव की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए ही दी जा रही हैं। उन्होंने ग्राम संगठन की बैठक में प्रशिक्षण से मिली जानकारियों को अन्य दीदियों के साथ साझा किया। ग्राम संगठन की बैठक में तय किया गया कि सबसे पहले गांव की अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पंचायत में बात करेंगे। यदि ग्राम पंचायत के स्तर से ही समस्या का समाधान हो जाता है, तो अच्छी बात है नहीं तो फिर जनपद स्तर पर संबंधित विभाग या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से शिकायत करेंगे। यदि वहां भी सफलता नहीं मिलती है तो जिला स्तर पर संबंधित विभाग और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। लेकिन, समस्याओं के समाधान करवा के रहेंगे।

सुमन दीदी की अगुवाई में ग्राम संगठन की महिलाओं ने ग्राम पंचायत पहुंचकर सफाई व्यवस्था, महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का आग्रह किया। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने किसी भी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। तब दीदियों ने इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत से चर्चा करने का निर्णय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत की सफाई व्यवस्था सुचारू करने और सभी कार्यों में ग्राम संगठन की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सचिव को निर्देशित किया। इसके अलावा महिलाओं को उनकी योग्यता अनुसार स्वरोजगार प्रशिक्षण से जोड़ने के लिए भी सचिव को निर्देशित किया। ग्राम संगठन की दीदियों ने प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों की नियुक्ति और उसे चालू करवाने के लिए स्वास्थ विभाग को भी एक आवेदन प्रस्तुत किया। जिसका नतीजा यह निकला कि कुछ दिन बाद ही प्राथमिक स्वास्थ केंद्र पर चिकित्सक की नियुक्ति हो गयी और लोगों को गांव में ही चिकित्सा सुविधा मिलने लगी। हाट बाज़ार से निकलने वाले सब्जियों के कचरे एवं अन्य कचरे की सफाई का काम भी शुरू हो गया। मुख्यकार्यपालन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश पर पंचायत द्वारा 3 महिलाओं को 10 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण, 5 लडकियों को 3 माह के सिलाई प्रशिक्षण हेतु धार भेजा गया।

सुमन दीदी के सहयोग से 33 पात्र हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 27 हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से राशन, 152 हितग्राहियों को ई- श्रमिक कार्ड एवं 91 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड बनवाने का लाभ मिला। कोविड-19 के टीकाकरण के प्रति लोगों के मन से भय दूर करने के लिए सुमन दीदी ने सबसे पहले स्वयं टीका लगवाया, उन्हें देखकर स्व सहायता समूह और ग्राम संगठन की महिलाओं ने भी टीका लगवाया। इसके बाद तो पूरा गांव टीका लगवाने के लिए आगे आ गया।

प्रिय पाठक गण,

पंचम् विकास पत्रिका में प्रकाशित लेखों के संबंध में आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। आप नीचे दिए गए पते पर पत्राचार कर सकते हैं अथवा नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हॉट्सएप मैसेज के माध्यम से भी हमें अवगत करा सकते हैं।

समर्थन – सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट
36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल-462016,
मोबाइल नंबर – 9406546728

प्रकाशन समर्थन, भोपाल :
सम्पादक मंडल: विनोद चौधरी, जीत परमार, ज्ञानेन्द्र तिवारी, शोभा लोधी, नारायण परमार, पंकज गुप्ता,
पता : 36 ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, भोपाल। परस्पर सम्पर्क हेतु प्रकाशित, मो.9893563713